भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **1423**
गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2022 /24 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एविएशन टर्बाइन ईंधन

1423. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री सुब्रत पाठक:
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री रवि किशनः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमान कंपनियों की लागत ढांचे का प्रमुख हिस्सा एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कुछ राज्य एटीएफ पर बहुत अधिक मूल्यवर्धित कर (वैट) लगा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केंद्र सरकार ने राज्यों से एविएशन टर्बाइन ईंधन पर मूल्यवर्धित कर (वैट) कम करने का अनुरोध किया है;
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है;
(ङ) क्या जीएसटी परिषद को विमानन उद्योग के लिए घरेलू स्तर पर समान अवसर सुनिश्चित करने और विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु एटीएफ को जीएसटी के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) जी हां।

(ख) एटीएफ पर अधिक मूल्यवर्धित कर (वैट) वसूल रहे राज्यों का विवरण अनुबंध पर मौजूद है।

(ग) एवं (घ) जी हां। विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर मूल्यवर्धित कर (वैट) को कम करने के मुद्दे को एटीएफ पर अधिक वैट लगाने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया गया था। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, एटीएफ पर वैट को निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1-4% की रेंज में कम कर दिया गया हैः (i) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (ii) उत्तराखंड (iii) जम्मू एवं कश्मीर, (iv) लद्दाख, (v) हिमाचल

प्रदेश, (vi) त्रिपुरा, (vii) मध्य प्रदेश, (viii) हरियाणा (ix) उत्तर प्रदेश, (x) दादर एवं नागर हवेली तथा दमण और दीव, (xi) अरुणाचल प्रदेश, (xii) मणिपुर, (xiii) झारखंड तथा (xiv) मिजोरम, (xv) गुजरात तथा (xvi) कर्नाटक ने अपने राज्यों में एटीएफ पर वैट को क्रमशः 5% तथा 18% घटा दिया है।

(ङ) तथा (च) एटीएफ को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए कतिपय प्रस्तुतीकरण/संदर्भ, वित्त मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 279 क (5) में यह निर्धारित करता है कि माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर माल और सेवा कर लगाए जाने की तारीख की सिफारिश करेगी। केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार, जीएसटी में इन उत्पादों को शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होगी। अभी तक, जीएसटी परिषद, जिसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है, ने जीएसटी के तहत एटीएफ को शामिल करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है।

****

अनुबंध

क्र. सं.	राज्य	विमानन टर्बाइन ईंधन की (एटीएफ) सामान्य दरें
1)	तमिलनाडु	29%
2)	बिहार	**क)** 29% **ख)** 4% - गया विमानन ईंधन स्टेशन
3)	राजस्थान	**क)** 26% **ख)** जब एयरलाइनें हब का रखरखाव करती हैं अथवा राजस्थान के दो शहरों को जोड़ती है तो 5.50% **ग)** अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान द्वारा राजस्थान के किसी भी शहर (जयपुर के अलावा) को जोड़ने वाले विमान में उपयोग के लिए किसी भी एयरलाइन को एटीएफ की बिक्री पर 10%।
4)	दिल्ली	25%
5)	महाराष्ट्र	**क)** मुंबई, पुणे, रायगढ़ को भुगतान किया गया एटीएफ शुल्क - 25% **ख)** मुंबई, पुणे, रायगढ़ को छोडकर भुगतान किया गया एटीएफ शुल्क -5%
6)	पश्चिम बंगाल	**क)** कर पर 25% + 20% अतिरिक्त कर **ख)** क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के अंतर्गत उड़ानों पर लगने वाले कर पर 21/9/2021 से 0.84% + 20% अतिरिक्त कर **ग)** बागडोगरा विमानन ईंधन स्टेशन के लिए शून्य
7)	असम	23.65%
8)	गोवा	**क)** 18% **ख)** गोवा ग्रीन सेस - वैट को छोड़कर टर्नओवर पर 0.50%
9)	कर्नाटक	18%

स्रोत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)